

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 77/2025

उनवान

1. कासम पुत्र अब्दुला जाति
मुसलमान निवासी होथियाणीयों
की बस्ती तहसील रामसर।

बनाम


1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 18.02.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कासम पुत्र अब्दुला जाति मुसलमान निवासी होथियाणीयों की बस्ती तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा नंबर 315 रकबा कुल 1.3274 हेक्टैयर मौजा मिठुवाणीयों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर में आये हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम कासम पुत्र अब्दुला जाति मुसलमान निवासी होथियाणीयों की बस्ती की जगह काछम पुत्र अब्दुला जाति मुसलमान भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम कासम पुत्र अब्दुला जाति राजपूत करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नंबर 315 रकबा कुल 1.3274 हेक्टैयर मौजा मौजा मिठुवाणीयों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का कासम पुत्र अब्दुला नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : रीडर/2025/ 140-41
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी कासम पुत्र अब्दुला ।

दिनांक 18.02.2025


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी